सार्वजनिक सूचना

यह सूचना सर्वसाधारण को मेरे मुवक्किल एचडीएफसी लिमिटेड की ओर दी जा रही है जिसने श्री राजेश कुमार सिंह और श्री बहादुर सिंह जगत को भूखंड संख्या 3/1421/1, सेक्टर 3, यू.पी. आवास एवं विकास परिषद, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010 को गिरवी रखकर लोन (ऋण खाता संख्या 580973795 के तहत) प्रदान किया। मेरे मुवक्किल एचडीएफसी लिमिटेड को यह पता चला है कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं जिनमें यूपी आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र दिनांक 23.02.1999 सहित मूल संपत्ति दस्तावेज, यूपी आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी मूल पुनः आवंटन पत्र दिनांक 16.06.2003, प्राधिकरण को किए गए भुगतान के मूल 3 चालान और एचडीएफसी लिमिटेड के पक्ष में यूपी आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी बंधक पत्र दिनांक 16.06.2003 के मूल अनुमति पत्र शामिल हैं। इसलिए सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि जिसे भी उल्लिखित दस्तावेजों में कुछ भी मिले कृपया उसे शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी लिमिटेड, द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली – 67 में जमा करें।

देवानंद प्रसाद (एडवोकेट)
चैंबर नंबर 302,
द्वारका कोर्ट वकील चैंबर,
द्वारका, नई दिल्ली– 110075

दिनांक: 24–04–2023
स्थान: नई दिल्ली

IndiaShelter Home Loans

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालय :** दुकान नं. 6, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा–282002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वस्ति कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
1.	1. श्रीमती नीलम निगम नंबर 1428/ए मोहल्ला आजाद नगर पनियाला रोड रुड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड–247667 उत्तरांचल ऋण खाता LAROCLLONS000005027224 तथा CLA100004495	निगम नं 1428 मोहल्ला आजाद नगर पनियाला रोड रुड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड 247667 की संपत्ति का समस्त भाग, संपत्ति की सीमाः –पूर्व– दाता की संपत्ति, पश्चिम– अज्ञात का घर, उत्तर– हुकुम सिंह का घर, दक्षिण–मार्ग 12 फीट चौड़ा।	मांग सूचना 21/10/21 रु. 1794445.89/– (रुपये सत्रह लाख चौरानबे हजार चार सौ पैंतालीस एवं अस्सी पैसे मात्र) तिथि 31/10/21 तक तथा 01/11/21 से ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत	20/04/2023
2.	श्रीमती सीमा, महादेव ग्रीन कॉलोनी आनेकी हेतमपुर रोशनबोड रुड़की हरिद्वार रुड़की – 249402 उत्तरांचल ऋण खाता HLROCHLONS00000 5012266/AP-10019314	भूखंड संख्या 56 के हिस्से का समस्त भाग, माप 25.5 फीट x 40 फीट, खसरा नंबर 1617, महादेव हरी अन्केई हेट्टामौर, रोशनाबाद (नगरपालिका सीमा के भीतर) परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, संपत्ति की सीमाः – पूर्व– संपत्ति अन्य व्यक्ति, पश्चिम–मार्ग 20 फीट चौड़ा, उत्तर–प्लॉट अन्य व्यक्ति, दक्षिण– प्लॉट अन्य व्यक्ति	मांग सूचना : 12/01/2023 रु. 750787.05/– (रुपये सात लाख पचास हजार सात सौ सत्तासी एवं पांच पैसे मात्र) तिथि 10/01/23 तक तथा 11/01/23 से ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत	20/04/2023

किसी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें : श्री अमित जोरसेवाल (+91 99927 77791)

स्थान : रुड़की, **तिथि :** 25.04.2023 — **इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अधिकृत प्राधिकारी)**

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) नियम 8–(1)

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत **आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर निम्न ऋणधारक/ को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

एलएएन नं.	कर्जदार/रों	राशि	मांग सूचना दिनांक	13 (4) नियम 8 तिथि	संपत्ति का पता
LXKNL 00218-190000 183	1. श्री दीपक कुमार पंचाल 2. श्रीमती रीना देवी	रु. 17,54,020/–	18.06.2022	19.04.2023	सम्पत्ति फ्लैट/मकान सं. : खसरा नं. 7751(5–11) खेवत नं. 3395, खतोनी नं. 5230, एमसी कॉलोनी, पृथ्वी विहार, सुगर मिल, करनाल, हरियाणा–132039

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथ इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ ऊपर वणित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आईएफएल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली — **आईएफएल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड**
तिथिः 19.04.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
शाखा कार्यालय : यूनिट नं. 301/301–ए 3रा तल, प्लैटिना टावर, एम.जी.रोड, सेक्टर–28, ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील वजीराबाद, जिला गुरूग्राम–12022

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित प्रवर्त्तक नियमावली, 2002] का नियम 8 (1)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.2.2023 जारी कर ऋणधारकों दमनीश कुमार, बन्दना सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,54,45,754.74/– (रुपये एक करोड़ चौवन लाख पैंतालिस हजार सात सौ चौवन पैसे चौहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अप्रैल, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,54,45,754.74/– (रुपये एक करोड़ चौवन लाख पैंतालिस हजार सात सौ चौवन पैसे चौहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. जीएच–02 (ग्राम सराय ख्वाजा की राजस्व सम्पदा में एमसीडी की भूमि पर), सेक्टर–41, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 में स्थित राइज स्काई बंगला के नाम से विदित भवन में प्लॉट सम्पत्ति सं. बीएस–8, बंगला नं. 11,11वां तल, टावर बीएस–8 जिसका सुपर एरिया 2300 वर्ग फीट अर्थात 213.68 वर्गमी. तथा निर्मित एरिया 2060 वर्ग फीट है, का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि : 21.04.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : फरीदाबाद — **आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात–362 266
शाखा कार्यालय : आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, 2सरा तल, शकुन एम्पोरिया, सी–23, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001

परिशिष्ट IV
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, शाखा पता : 2सरा तल, शकुन एम्पोरिया, सी–23, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों नामतःश्री किशोर सिंह, श्रीमती राजू देवी को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 67,26,675/– (रुपये सड़सठ लाख छब्बीस हजार छः सौ पिचहत्तर मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 27.12.2022 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 21 अप्रैल, 2023 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 67,26,675/– (रुपये सड़सठ लाख छब्बीस हजार छः सौ पिचहत्तर मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : बिल्ट अप वाणिज्यिक सह आवासीय सम्पत्ति 11, गंगा विहार कॉलोनी, जोदला, हरमदा, जयपुर, 302013.

तिथि : 21.04.2023 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : जयपुर — **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड**

वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, पुणे क्षेत्र

जी.एस.टी. भवन, 41–ए, ससून रोड, वाडीया कॉलेज के सामने, पी.बी. नं. 273, पुणे 411001

केंद्रीय कर एवं सीमाशुल्क विभाग, पुणे में खेल कोटा भर्ती – 2022 - शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2022 को जारी विज्ञापन और उसके बाद के शुद्धिपत्र दिनांक 09-01-2023 के संदर्भ में, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन 1668767575965 दिनांक 18 नवंबर, 2022 के अनुसार सभी 65 खेल विधाओं (सूची संलग्न) के मेधावी खिलाड़ियों से नए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **कर सहायक / स्टेनोग्राफर ग्रेड–।। / हवलदार** के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुबंध में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करना।

अनु. क्र.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	आय एवं भत्ता (7वे वेतन आयोग के अनुसार)
1	टैक्स असिस्टंट	02	पे मेट्रिक्स का स्तर –4 (रु. 25,500-81,100)
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड–।।	06	पे मेट्रिक्स का स्तर–4 (रु. 25,500-81,100)
3	हवलदार	03	पे मेट्रिक्स का स्तर–1 (रु. 18,000-56,900)

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन वेबसाइट http://www.cbic.gov.in और https://punecgstcus.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। दि. 03.12.2022 को प्रकाशित विज्ञापन के अन्य नियम एवं शर्तें आवेदन के प्रोफार्मा एवं संलग्नक के साथ यथावत रहेंगी। ये सभी दस्तावेज वेबसाइट http://www.cbic.gov.in और https://punecgstcus.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

3. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन अनुबंध और प्रपत्र में दिए गए निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आयुक्त, (सीसीसी), सीजीएसटी और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, पुणे क्षेत्र, जीएसटी भवन, के सामने भेज सकते हैं। वाडिया कॉलेज , 41/ए ससून रोड, पुणे – 411001। केवल 'स्पीड पोस्ट' द्वारा दि. 24.05.2023 को 17:00 बजे या उससे पहले। उत्तर–पूर्वी राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन दि. 31.05.2023 को 17:00 बजे से पहले उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

4. जिन उम्मीदवारों ने पूर्व विज्ञापन दि. 03.12.2022 के प्रत्युत्तर में आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(गोल्डी शर्मा)
संयुक्त आयुक्त, केडर कंट्रोल सेल
सीजीएसटी आणि कस्टम्स, पुणे झोन

दिनांक: 25.04.2023

TOSHA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L32101DL1988PLC119284;
Regd. Office: E-34 Second Floor, Connaught Circus, New Delhi 110001;
Tel No.:+91-11-23415550/51; **Email:** toshainternational@yahoo.com;
Website: www.toshainternationallimited.in;

NOTICE

This notice should be read in conjunction with our earlier notice dated 13.04.2023 published in the Financial Express (all India editions), Jansatta (all India editions) and Arthik Lipi (Kolkata edition) on 14.04.2023 [**"Advertisement 1"**]. The Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed and we therefore hereby once again request all the public shareholders to kindly update their address, contact details and email IDs with Tosha International Limited **("Company")**/ Skyline Financial Services Private Limited **("RTA")** by 13.05.2023 to facilitate them to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer.

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries:

Tosha International Limited	**Skyline Financial Services Private Limited**
Akshat (Company Secretary & Compliance Officer)	(Mr. Anuj Kumar)
Tel No.: +91-11-23415550/51;	Tel No.: 011-26812682-83, 40450193 to 97;
Email Id: toshainternational@yahoo.com;	Email id: ipo@skylinerta.com;

All other statements as published in Advertisement 1 remain unchanged. The Advertisement 1 is also available on the website of the Company at www.toshainternationallimited.in;

For Tosha International Limited
Sd/-
Akshat
Company Secretary
Mem No.: A45376

Place: New Delhi
Date: 24.04.2023

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

शाखा : मेरठ मैन शाखा, सामने जीआईसी बेगम ब्रिज रोड, खूनी पुल, मेरठ, उ.प्र.–250001 — **कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**

अनुसूची 6 [नियम–8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना सं. आरओएम : 665/310261–22–23 तिथि 30.01.2023 जारी कर ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों (नाम) श्री बिजेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री सोम चंद शर्मा (ऋणधारक) एवं श्री लक्ष्मी चंद, पुत्र श्री बिशम्भर सहाय (गारंटर) जिनका मेरठ मैन शाखा में खाता है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,57,193.00/– (रुपये चार लाख सत्तावन हजार एक सौ तिड़ानवे मात्र+अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 21 अप्रैल, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों/ तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4,57,193.00/– (रुपये चार लाख सत्तावन हजार एक सौ तिड़ानवे मात्र+अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज) जो 31.12.2022 से देय है, के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री बिजेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री सोम चंद शर्मा के नाम में शिव एन्क्लेव, शिव शक्ति नगर के निकट, मेरठ में स्थित मिनजुमला खसरा नं. 2329/1, 2331, 2335 तथा 2362 के भाग में आवासीय प्लॉट/मकान सं. 79, एरिया माप 83.61 वर्ग मी.

चौहद्दी :
पूर्व : 16' 4' (रोड 18' चौड़ा) — पश्चिम : 16 4/ब्रहम सिंह का मकान
उत्तर : 55'8''/प्लॉट नं. 80/राजेश कुमार का प्लॉट, — दक्षिण : 54'6''/प्लॉट नं. 78/धारक की सम्पत्ति

तिथि : 21.04.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मेरठ — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

शाखा : मेरठ मैन शाखा, सामने जीआईसी बेगम ब्रिज रोड, खूनी पुल, मेरठ, उ.प्र.–250001 — **कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)**

अनुसूची 6 [नियम– 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना सं. आरओएम : 680/17 22–23 तिथि 21.12.2022 जारी कर ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों (नाम) श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री किशन लाल (ऋणधारक) एवं श्री किशन लाल, पुत्र श्री गोपी चंद (सह–ऋणधारक) एवं श्री बृजेश, पुत्र श्री फूल सिंह (गारंटर) जिनका मेरठ मैन शाखा में खाता है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,46,872.70/– (रु. तीन लाख छियालिस हजार आठ सौ बहत्तर पैसे सत्तर मात्र) +अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 21 अप्रैल, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों/ तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 3,46,872.70/– (रु. तीन लाख छियालिस हजार आठ सौ बहत्तर पैसे सत्तर मात्र) +अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज जो 30.11.2022 से देय है, के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री किशन लाल, पुत्र गोपी चंद के आवासीय प्लॉट/मकान जो खसरा नं. 6284/1, मौजा शेर गढ़ी, एरिया माप 50.17 वर्ग मी. मेरठ में शामिल है।

चौहद्दी :
पूर्व : 13' 10''/ओमी एवं अन्य का मकान, — पश्चिम : 13' 10''/30' चौड़ा रास्ता
उत्तर : 39'/राम सिंह का प्लॉट, — दक्षिण : 39'/मुनेश कुमार का प्लॉट

तिथि : 21.04.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मेरठ — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

शाखा : मेरठ मैन शाखा, सामने जीआईसी बेगम ब्रिज रोड, खूनीपुल, मेरठ, उ.प्र.–250001 — **कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)**

अनुसूची 6 [नियम–8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना सं. आरओएम : सरफैसिया : 668/42–22–23 तिथि 21.8.2019 जारी कर ऋणधारकों/गारंटर/मार्टगैजरों(नाम) श्रीमती पुष्पा शर्मा, पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा एवं श्री विपिन कुमार शर्मा, पुत्र श्री जगदीश शर्मा एवं श्री अमित शर्मा, पुत्र श्री विपिन कुमार शर्मा (ऋणधारक) जिनका मेरठ मैन शाखा में खाता है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 44,03,132.50/– (रु. चौआलिस लाख तीन हजार एक सौ बत्तीस एवं पैसे पचास मात्र) + अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अप्रैल, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 44,03,132.50/– (रु. चौआलिस लाख तीन हजार एक सौ बत्तीस एवं पैसे पचास मात्र) + अनुबंधित दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज जो 31.07.2019 से देय है, के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती पुष्पा शर्मा एवं श्री विपिन कुमार शर्मा के नाम में बी–84, सरस्वती लोक, दिल्ली रोड, मेरठ में आवासीय मकान एरिया माप 162.61 वर्ग मी.

चौहद्दी : **पूर्व : अन्य सम्पत्ति** — **पश्चिमः** रोड
उत्तरः प्लॉट नं. 8–83 — **दक्षिणः** प्लॉट नं. 8–85

तिथिः 21.4.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः मेरठ — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

Piramal Finance

पिरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN: L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं.-601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटि बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400070, फोनः +91 22 3802 4000,
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 6, ब्लॉक-ए द्वितीय तल, सेक्टर 2, नोएडा- 201301
शाखा कार्यालयः यूनिट नंबर 6 और 8, प्रथम तल, रक्षा बिजनेस सेंटर, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, जीरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब, पिनकोड - 140603

कब्जा का सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1) एवं परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(ओं) / जमानतदार(ओं) को जारी की गई मांग सूचना(ओं) में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि चुकाने में असफल होने पर, ऋणी / जमानतदार(ओं) और आमजनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों कि ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋ